...खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 263/2022 **दायर तारीख 24.06.2022**

अनवान

विष्णु नायक पुत्र भंवरलाल जाति नायक उम्र 59 वर्ष पेशा खेती निवासी बिजौलियां तह0 बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज.)

...........प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)।

...........अप्रार्थी

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार धाकड़, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. सरकार पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :–07/02/2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विपक्षी पेश कर निवेदन किया की मुझ प्रार्थी की स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा में खाता संख्या 150 मे अंकित आराजी खसरा संख्या 28 रकबा 1.2141 हैक्टेयर भूमि किस्म बारानी तृतीय स्थित हैं। जिस पर आने जाने के लिए 30 फीट चौड़ा गै.मु. रास्ता खसरा संख्या 65/1 से 39/1 मे आता है एवं खसरा संख्या 39/1 गे.मु. रास्ते से बिलानाम भूमि खसरा संख्या 39 एवं खसरा संख्या 29 के पूर्वी मेड़ पर होता हुआ प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 28 मे प्रवेश करता है। (जिसे सलंग्न नजरी नक्शे मे A TO B से दर्शाया गया है।) प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर अपनी आराजी मे आता जाता है। विपक्षीगण की उक्त भूमि आराजीयत मे से होकर गुजरने वाला रास्ता राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे मे तरमीम नही होने से प्रार्थी को उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग मे एवं भविष्य मे विपक्षी की उक्त भूमि अन्य को आंवटन की स्थिति मे उक्त रास्ते के अवरूद्ध होने का अंदेशा बना रहता है। जबकि उक्त रास्ता वर्षो से पुराना होकर उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपनी आराजी मे आने जाने, ट्रेक्टर, ट्रोली, वाहन, बैलगाड़ी लाने ले जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी मे आने जाने के उक्त 30 फीट चौडे रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज एवं नक्शे मे तरमीम करवाने का निवेदन किया है, और प्रार्थी, विपक्षीगण की उक्त आराजीयात मे जाने वाले उक्त 30 फीट चौड़े रास्ते को रिकॉर्ड मे लेने के बदले मे तय किये जाने वाला सरकारी मूल्य के आधार पर मुआवजी भुगतान को तैयार है। उक्त आराजीयात पर जाने के लिए रास्ते को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी की तलबी जरिय नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गयी।

प्रकरण में मात्र विपक्षी तहसीलदार ही पक्षकार हैं। अतः प्रकरण में मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलियां से तलब की गयी तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/2476 दिनांक 23.11.2022 में अंकित किया कि ग्राम किशनपुरिया की आराजी न. 28 रकबा 1.2141 है किस्म बारानी तृतीय भूमि विष्णु पुत्र भंवरलाल नायक निवासी बिजौलियां के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि मे आने जाने हेतु प्रार्थी खातेदार बिलानाम आराजी न. 29 व आराजी न. 39 मे से रास्ता चाहता है :–

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

- प्रार्थी को आराजी नम्बर 28 मे पहुँचने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी ग्राम किशनपुरिया की बिलानाम आराजी नं. 29 व 39 की पूर्वी मेड़ से आने जाने हेतु 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहता है। जो आराजी नं. 39/1 रकबा 0.1214 है0 गै.मु. रास्ता से लगता हुआ है।
- ग्राम किशनपुरिया की रास्ते हेतु 30 फीट चौड़ाई हेतु प्रस्तावित भूमि बिलानाम आराजी नं. 29 रकबा 0.5666 है0 में से 0.0971 है0 भूमि व आराजी नम्बर 39 रकबा 0.8903 है0 मे से 0.0971 हे0 भूमि कुल 0.1942 है0 भूमि उपयोग में ली जायेगी। प्रस्तावित भूमि आबादी भूमि से 600 मीटर की दूरी पर, वन विभाग की भूमि से 400 मीटर की दूरी पर तथा एन.एच. से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हैं।
- ग्राम किशनपुरिया की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बिलानाम आराजी नम्बर 29 रकबा 0.5666 है0 मे सें 0.0971 है0 भूमि व आराजी नम्बर 39 रकबा 0.8903 है0 मे से 0.0971 है0 भूमि कुल 0.1942 है0 भूमि रास्ते हेतु दर्ज की जाती है, तो किसी प्रकार की सार्वजनिक आपत्ति नही है।
- ग्राम किशनपुरिया की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बिलानाम आराजी नम्बर 29 रकबा 0.5666 है0 मे सें 0.0971 है0 भूमि व आराजी नम्बर 39 रकबा 0.8903 है0 मे से 0.0971 है0 भूमि कुल 0.1942 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 222398/– प्रति है0 से भूमि की मालिकत 43190/– रूपये का दुगुना से 86380/– रूपये की राशि बनती है।

प्रकरण में बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी सरकार पैरोकार की सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया उक्त प्रस्तावित आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु ग्राम किशनपुरिया की बिलानाम आराजी नम्बर 29 रकबा 0.5666 है0 मे सें 0.0971 है0 भूमि व आराजी नम्बर 39 रकबा 0.8903 है0 मे से 0.0971 है0 भूमि कुल 0.1942 है0 भूमि में रास्ता दिये जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार बिजौलिया ने अपनी रिपोर्ट में कोई आपति नहीं होना जाहिर किया हैं। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में मौके पर दर्ज नही होने से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

–: आदेश :–

अतः प्रस्तुत प्रार्थना **अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** के तहत स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थी को स्वयं की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम किशनपुरिया मे खाता संख्या 150 मे अंकित आराजी नम्बर 28 रकबा 1.2141 हैक्टेयर भूमि पर पहुंचने के लिए रास्ता विपक्षी की ग्राम किशनपुरिया की बिलानाम आराजी नम्बर 29 रकबा 0.5666 हैक्टेयर मे से 0.0971 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 39 रकबा 0.8903 हैक्टेयर मे से 0.0971 हैक्टेयर भूमि कुल 0.1942 हैक्टेयर बनती हैं जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 222398/– प्रति है0 से भूमि की मालिकत 43190/– रूपये का दुगुना से 86380/– रूपये की राशि बनती है। बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमान्तर्गत रास्ता राजस्व अभिलेख में गे0मू0 रास्ता (रास्ता/पगडंडिया) अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 07/02/2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

सीमा तिवाड़ी
(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ ज़ि. भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

क्रमांक/रीडर/2023/ 207 **दिनांक :** 07/**02 /2023**

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियां

विषय :– प्रकरण संख्या **263/2022 विष्णु नायक पुत्र भंवरलाल नायक निवासी बिजौलियां बनाम भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां**, अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पालना किये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुवानी प्रकरण संख्या **263/2022 विष्णु नायक पुत्र भंवरलाल नायक निवासी बिजौलियां बनाम भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां**, में दिनांक 07.02.2023 को आदेश पारित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया गया हैं। निर्णय की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवायी जा रही है।

अतः किसी अन्य न्यायालय का स्थगन इत्यादि नही होने पर मुताबिक निर्णय पालना करें।

संलग्न :– निर्णय प्रति

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ